



MAA OMWATI DEGREE COLLEGE HASSANPUR(PALWAL)

M.A .POL.SCI.3RD

SUBJECT:- POLITICS AND ETHNIC CONFLICTS IN JAMMU KASHMIR

UNIT-1ST

****"स्टेट एंड सोसाइटी: ए हिस्टोरिकल ओवरव्यू"**** का हिन्दी में अर्थ होता है – ****"राज्य और समाज: एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण"**

इस विषय में हम राज्य (State) और समाज (Society) के बीच के संबंधों को ऐतिहासिक क्रम में समझते हैं – कि कैसे समय के साथ राज्य का स्वरूप बदला, समाज पर उसका प्रभाव क्या पड़ा, और दोनों के बीच की पारस्परिक क्रियाएं कैसे विकसित हुईं।

****राज्य और समाज: एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण (State and Society: A Historical Overview in Hindi)****

1. ****प्राचीन काल में राज्य और समाज**** प्रारंभिक समाज जनजातीय और सामूहिक थे। इनमें कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं होती थी। जैसे-जैसे कृषि का विकास हुआ, स्थायी बस्तियों का निर्माण हुआ, और सामाजिक संरचना जटिल होने लगी।

* राजा का उदय हुआ – जो धर्म और राजनीति दोनों का केंद्र बन गया (जैसे वैदिक काल में राजा को 'राजऋषि' कहा गया)।

* समाज वर्ण व्यवस्था और जाति-व्यवस्था पर आधारित हो गया।

2. ****मध्यकाल में राज्य और समाज****

* भारत में कई साम्राज्य उभरे – जैसे मौर्य, गुप्त, दिल्ली सल्तनत, मुगल आदि।

* राज्य शक्तिशाली हो गए, लेकिन समाज में धार्मिक, जातीय, और आर्थिक भेदभाव भी बढ़ा।

* समाज में कृषि प्रधान व्यवस्था थी, और राज्य कर वसूलने के लिए किसानों पर निर्भर था।

* धार्मिक संस्थाएं (जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ) समाज और राज्य दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं।

3. ****औपनिवेशिक काल (Colonial Period)****

* ब्रिटिश शासन ने भारतीय राज्य की संरचना को पूरी तरह बदल दिया।

* एक केंद्रीकृत नौकरशाही, न्याय व्यवस्था और पुलिस तंत्र विकसित हुआ।

* समाज में नए वर्ग बने – जैसे मध्यवर्ग, व्यापारी वर्ग, शिक्षित वर्ग।

* जाति, धर्म और भाषा के आधार पर समाज को बांटा गया, जिससे विभाजन की राजनीति को बल मिला।

* साथ ही, इस काल में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम का उदय भी हुआ।

4. **आधुनिक भारत में राज्य और समाज**

* स्वतंत्रता के बाद भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना।

* संविधान ने समाज में समानता, स्वतंत्रता, और न्याय की गारंटी दी।

* राज्य अब कल्याणकारी राज्य (Welfare State) के रूप में कार्य करता है – शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि में भागीदारी करता है।

* समाज में जातीय, लैंगिक, धार्मिक समानता की दिशा में प्रगति हुई है, लेकिन चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं (जैसे भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, असमानता)।

5. **निष्कर्ष (Conclusion)** राज्य और समाज एक-दूसरे के पूरक हैं। इतिहास में राज्य ने समाज को नियंत्रित किया, लेकिन समाज ने भी आंदोलनों, सुधारों और विचारधाराओं के माध्यम से राज्य को प्रभावित किया। आज के युग में दोनों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को सशक्त किया जा सके।

TRANSITION FROM KINGSHIP TO CONSTITUTIONAL DEMOCRACY IN HINDI

"राजतंत्र से संविधानिक लोकतंत्र की ओर संक्रमण"

****परिचय (Introduction):**** राजतंत्र (Kingship) एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ सत्ता एक व्यक्ति (राजा) के हाथ में केंद्रित होती है, जो वंशानुगत आधार पर शासन करता है। इसके विपरीत, ****संवैधानिक लोकतंत्र (Constitutional Democracy)**** वह प्रणाली है जहाँ सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और संविधान के अनुसार कार्य करती है।

****राजतंत्र से संवैधानिक लोकतंत्र की यह यात्रा**** एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक परिवर्तन शामिल हैं।

****1. प्रारंभिक दौर: राजतंत्र की विशेषताएँ****

* राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि या 'ईश्वरीय अधिकार' प्राप्त माना जाता था।

* शासन वंशानुगत होता था – राजा का पुत्र ही अगला राजा बनता था।

* जनता को शासन में कोई भागीदारी नहीं होती थी।

* राजा न्याय, सेना, कर प्रणाली आदि का सर्वोच्च अधिकारी होता था।

****उदाहरण:**** प्राचीन भारत में मौर्य, गुप्त, मुगल आदि वंश, यूरोप में फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों के सम्राट।

****2. संक्रमण की शुरुआत: असंतोष और बदलाव की माँग****

राजतंत्र के अत्यधिक केंद्रीकरण और शोषण के कारण समाज में असंतोष बढ़ने लगा। शिक्षा, विचारों के प्रसार और सामाजिक आंदोलनों ने लोकतंत्र की माँग को जन्म दिया।

प्रमुख कारक: ****प्रबोधन काल (Age of Enlightenment):**** 17वीं-18वीं सदी में यूरोप में विवेक, स्वतंत्रता और समानता जैसे विचारों ने जन्म लिया (रूस, लॉक, मॉटेस्क्यू आदि)।

****क्रांतियाँ:****

****ब्रिटिश क्रांति (1688)**** – संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना।

* ****अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम (1776)**** – लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म।

* ****फ्रांसीसी क्रांति (1789)**** – "स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व" के आदर्श।

****3. संवैधानिक लोकतंत्र का उदय****

- * राजा की शक्तियों को संविधान द्वारा सीमित किया गया।
- * जनता को प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार मिला (मताधिकार)।
- * शासन में जनता की भागीदारी बढ़ी – संसद, न्यायपालिका, प्रेस की स्वतंत्रता, मानवाधिकार।
- * कानून का शासन स्थापित हुआ।

****उदाहरण:****

- * ब्रिटेन में ****संवैधानिक राजतंत्र**** (Constitutional Monarchy)।
- * भारत, अमेरिका, फ्रांस आदि में ****लोकतांत्रिक गणराज्य****।

****4. भारत में संक्रमण:****

- * भारत में लंबे समय तक ****राजतंत्र और उपनिवेशवाद**** दोनों का प्रभाव रहा।
- * स्वतंत्रता संग्राम के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ।
- * ****26 जनवरी 1950**** को भारत एक ****संवैधानिक लोकतंत्र**** बना – जहाँ संप्रभुता जनता में निहित है।

****5. निष्कर्ष (Conclusion):****

राजतंत्र से संवैधानिक लोकतंत्र की यात्रा मानव सभ्यता की सबसे बड़ी राजनीतिक सफलताओं में से एक है। इसने शासन को "राजा की इच्छा" से हटाकर "जनता की इच्छा" पर आधारित कर दिया। ****"राजा अब नहीं, जनता अब सर्वोच्च है। संविधान उसकी ढाल है, और लोकतंत्र उसका हथियार।"****

भारतीय संदर्भ में "राज्य का संविधान और शासकीय संरचनाएं" (State Constitution and Governing Structures) का अर्थ होता है कि किसी राज्य (जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि) में शासन कैसे संचालित होता है, उसके लिए क्या नियम-कानून बनाए गए हैं, और किन संस्थाओं या अधिकारियों के पास कौन-कौन से अधिकार होते हैं।

****राज्य का संविधान और शासकीय संरचनाएं (State Constitution and Governing Structures in Hindi)****

1. ****राज्य का संविधान क्या होता है?*** भारत में प्रत्येक राज्य का अलग से कोई संविधान नहीं होता (केवल जम्मू और कश्मीर को पहले विशेष दर्जा प्राप्त था, पर अब वो भी नहीं है)। भारत का ****संविधान**** (Indian Constitution) ही सभी राज्यों के लिए लागू होता है।

परंतु, प्रत्येक राज्य के लिए संविधान में अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं ताकि वे अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रशासन चला सकें।

2. ****राज्य की शासकीय संरचना (Governing Structure of State)**** राज्य की शासन प्रणाली तीन प्रमुख अंगों में बंटी होती है, ठीक वैसे ही जैसे केंद्र सरकार की होती है:

(1) **कार्यपालिका (Executive)**

यह शासन का वह हिस्सा होता है जो नीतियों को लागू करता है।

राज्यपाल (Governor):

राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

यह अधिकतर औपचारिक भूमिकाएं निभाता है।

मुख्यमंत्री (Chief Minister):

राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है।

मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) का नेतृत्व करता है।

मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट सरकार चलाती है।

राज्य मंत्री परिषद (Council of Ministers):

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है और विभिन्न विभागों का कार्यभार संभालती है।

(2) **विधायिका (Legislature)**

यह वह अंग है जो कानून बनाता है।

* अधिकांश राज्यों में एक ही सदन होता है: ****विधान सभा (Legislative Assembly / Vidhan Sabha)****

* कुछ राज्यों में दो सदन होते हैं:

****विधान सभा (Lower House)****

****विधान परिषद (Upper House / Vidhan Parishad)****

जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आदि।

****विधान सभा के सदस्य (MLA)**** जनता द्वारा चुने जाते हैं।

(3) ****न्यायपालिका (Judiciary)****

राज्य में न्याय व्यवस्था संभालती है।

****राज्य का उच्च न्यायालय (High Court)****

राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है।

यह संविधान की रक्षा करता है और अन्य सभी अदालतों पर नियंत्रण रखता है।

* इसके अधीन जिला और तालुका स्तर की अदालतें होती हैं।

3. ****अन्य महत्वपूर्ण बिंदु****

* राज्य की ****वित्तीय, प्रशासनिक और विधायी शक्तियां**** संविधान की ****अनुच्छेद 245-263**** और ****सातवीं अनुसूची**** (Seventh Schedule) में दी गई हैं।

* सातवीं अनुसूची में विषय तीन सूचियों में बंटे हैं:

1. ****संघ सूची (Union List)**** – केंद्र सरकार के अधिकार

2. ****राज्य सूची (State List)**** – राज्य सरकार के अधिकार

3. ****समवर्ती सूची (Concurrent List)**** – दोनों के साझा अधिकार

निष्कर्ष (Conclusion)

राज्य में शासन की पूरी व्यवस्था भारतीय संविधान के तहत चलती है। राज्यपाल एक प्रतीकात्मक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद असली कार्यकारी शक्तियों को प्रयोग में लाती है। कानून बनाने का काम विधायिका करती है, और कानून की व्याख्या एवं न्याय देने का काम न्यायपालिका करती है।

यहाँ पर ****नागरिकता के अधिकार (Citizenship Rights)**** और ****अनुच्छेद 35A (Article 35A)**** का विस्तार से और सरल हिंदी में विवरण दिया गया है:

****नागरिकता के अधिकार (Citizenship Rights in Hindi)* ☒ **नागरिकता (Citizenship) क्या है?***

****नागरिकता**** का अर्थ है – किसी व्यक्ति का किसी देश से कानूनी रूप से जुड़ा होना।

भारत का नागरिक होने के नाते आपको भारत के संविधान द्वारा कुछ विशेष ****अधिकार****, ****कर्तव्य**** और ****सुविधाएं**** मिलती हैं।

****भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान****

भारत में नागरिकता के विषय को संविधान के ****भाग – 2 (Part II)**** में शामिल किया गया है।

इसमें ****अनुच्छेद 5 से 11**** तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।

****अनुच्छेद 5 से 11 का सारांश:****

| अनुच्छेद | विषय

| अनुच्छेद 5 | भारत के प्रारंभिक नागरिक कौन होंगे (26 जनवरी 1950 को लागू)

| अनुच्छेद 6 | पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों की नागरिकता

| अनुच्छेद 7 | पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता

| अनुच्छेद 8 | भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता

| अनुच्छेद 9 | दोहरी नागरिकता निषिद्ध (भारत का नागरिक होते हुए दूसरे देश की नागरिकता नहीं) |

| अनुच्छेद 10 | नागरिकता जारी रखने का अधिकार

| अनुच्छेद 11 | संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार

****भारत में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके**** (भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार):

1. ****जन्म से****
2. ****वंशानुक्रम से (By Descent)****
3. ****पंजीकरण द्वारा (By Registration)****
4. ****स्वीकरण द्वारा (By Naturalization)****
5. ****भारत की सीमाओं के विलय के कारण (By Incorporation of Territory)****

****भारतीय नागरिकों के अधिकार:****

1. ****संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार**** (जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार आदि)
2. ****मतदान का अधिकार****
3. ****सरकारी सेवाओं में नियुक्ति का अधिकार****
4. ****पासपोर्ट पाने और विदेश यात्रा का अधिकार****
5. ****संपत्ति खरीदने और बेचने का अधिकार (भारत में कहीं भी)****

****अनुच्छेद 35A (Article 35A in Hindi)****

❑ अनुच्छेद 35A क्या था?

****अनुच्छेद 35A****, भारतीय संविधान में ****1954**** में ****राष्ट्रपति के आदेश**** (Presidential Order) द्वारा जोड़ा गया था।

यह जम्मू और कश्मीर को विशेष अधिकार प्रदान करता था।

35A का मुख्य प्रावधान:

यह अनुच्छेद ****जम्मू और कश्मीर की विधानसभा को यह शक्ति देता था**** कि वह:

स्थायी नागरिक (Permanent Residents) कौन होंगे, यह तय करे।

* केवल स्थायी नागरिकों को ही:

* सरकारी नौकरी पाने,

* संपत्ति खरीदने-बेचने,

* छात्रवृत्ति पाने,

* और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने का अधिकार दे।

35A से जुड़ी आलोचनाएं:

* यह अनुच्छेद भारत के अन्य नागरिकों के लिए ****असमानता**** पैदा करता था।

* इससे जम्मू-कश्मीर में ****नारी अधिकारों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों**** के साथ भेदभाव होता था।

****अनुच्छेद 35A अब लागू नहीं है (विलोपित कर दिया गया है)****

5 अगस्त 2019 को ****भारत सरकार ने: अनुच्छेद 370 को हटाया****, जिससे जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया।

* साथ ही, ****अनुच्छेद 35A को भी खत्म कर दिया गया****।

अब जम्मू और कश्मीर भारत के अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश है।

☐ ****वाद-विवाद विषय: अनुच्छेद 370 - हटाया जाना सही या गलत?***

****पक्ष में (अनुच्छेद 370 हटाना सही था):****

****वक्ता 1:****

"माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूरी दृढ़ता से कहता हूँ कि अनुच्छेद 370 को हटाना एक ऐतिहासिक और साहसी कदम था। यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को भारत से पूरी तरह जोड़ने में बाधा बना हुआ था। जब बाकी भारत में एक संविधान, एक झंडा और एक कानून है, तो फिर एक राज्य को विशेष दर्जा क्यों? * अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को मुख्यधारा से अलग करता था। भारत के कानून वहाँ पूरी तरह लागू नहीं होते थे।

* महिलाएं, अनुसूचित जातियाँ, और बाहरी लोग – सभी के साथ भेदभाव होता था।

* इससे आतंकवाद को परोक्ष रूप से बढ़ावा मिलता था क्योंकि केंद्र सरकार की पहुंच सीमित थी।

आज अनुच्छेद 370 के हटने से जम्मू और कश्मीर विकास की राह पर अग्रसर है, निवेश आ रहा है, और आम नागरिकों को बाकी भारत के समान अधिकार मिल रहे हैं।"

****विपक्ष में (अनुच्छेद 370 हटाना गलत था):****

****वक्ता 2:****

"माननीय मंच और सभी श्रोताओं से मैं यह कहना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 370 हटाना जल्दबाजी और बिना विचार-विमर्श का निर्णय था। * यह अनुच्छेद भारत और जम्मू-कश्मीर के बीच एक संवैधानिक समझौता था। इसे हटाने से संघवाद की भावना को ठेस पहुँची है। स्थानीय लोगों को बिना भरोसे में लिए यह कदम उठाया गया, जिससे असंतोष बढ़ा। इंटरनेट बंदी, नेताओं की नजरबंदी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश – क्या यही लोकतंत्र है? अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग नहीं करता था, बल्कि एक विशेष परिस्थिति में उसका भारत में विलय संभव बनाता था। उसे बातचीत और सहमति से हटाया जाना चाहिए था, ना कि सत्ता के बल पर।"

****निष्कर्ष (Conclusion):**** अनुच्छेद 370 पर बहस केवल कानून की नहीं, भावना, पहचान और राष्ट्रवाद की भी है।

जहाँ एक पक्ष इसे ****राष्ट्रीय एकता का प्रतीक**** मानता है, वहीं दूसरा पक्ष इसे ****संविधान की आत्मा पर चोट**** बताता है। *आप किस पक्ष में हैं, यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है – पर एक स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे संवाद बहुत ज़रूरी हैं।*

Unit-2

Political parties and electoral politics

****चुनाव की वैधता (चुनाव की वैधता का अर्थ, महत्व और शर्तें)****

****परिभाषा:**** ****चुनाव की वैधता (Legitimacy of Election)**** से तात्पर्य उस विश्वास से है जो जनता, राजनीतिक दल और अन्य हितधारक (stakeholders) चुनावी प्रक्रिया और उसके परिणामों पर करते हैं। जब कोई चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होता है, तब उसे वैध (legitimate) माना जाता है।

चुनाव की वैधता के प्रमुख तत्व:*

1. ****स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग**** * चुनाव करवाने वाली संस्था का राजनीतिक दबाव से मुक्त होना आवश्यक है।
2. ****मतदान की पारदर्शी प्रक्रिया**** इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM), VVPAT आदि का सही उपयोग और निगरानी।
3. ****राजनीतिक दलों को समान अवसर**** प्रचार, धन और संसाधनों तक समान पहुंच।
4. ****जनता की व्यापक भागीदारी**** सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार और सुविधा प्राप्त हो।
5. ****चुनावी हिंसा और धांधली का अभाव**** यदि चुनाव के दौरान हिंसा, धमकी या धोखाधड़ी हो, तो वैधता पर सवाल उठता है।

6. ****परिणामों को स्वीकार करना***** हारने वाले दलों द्वारा भी चुनाव परिणामों को स्वीकार करना एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है।

****वैधता का महत्व:***** जनता को शासन पर विश्वास होता है।

* सरकार की नीतियों और फैसलों को नैतिक समर्थन मिलता है।

* राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है।

* अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की लोकतांत्रिक छवि मजबूत होती है।

****वैधता में कमी के दुष्परिणाम:****

* जनता का भरोसा टूटता है।

* विरोध और आंदोलन बढ़ते हैं।

* लोकतंत्र कमजोर होता है।

* राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है।

****निष्कर्ष (Conclusion):**** चुनाव की वैधता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ होती है। जब चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होते हैं, तभी सरकार को जनसमर्थन और नैतिक अधिकार प्राप्त होता है। यदि चुनाव की वैधता पर प्रश्नचिह्न उठता है, तो लोकतंत्र की नींव ही कमजोर हो जाती है।

****प्रतिनिधित्व की राजनीति (Politics of Representation) – हिंदी में विस्तृत जानकारी****

****परिभाषा:**** ****प्रतिनिधित्व की राजनीति (Pratinidhitv ki Rajniti)**** से आशय उस राजनीतिक प्रक्रिया से है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों – जैसे जाति, धर्म, लिंग, भाषा, वर्ग, क्षेत्र आदि – को शासन प्रणाली में प्रतिनिधित्व देने की बात की जाती है, ताकि सभी समूहों की आवाज़ सुनी जा सके और वे निर्णय-निर्माण में भागीदारी कर सकें।

****मुख्य तत्व (Key Elements):**** 1. ****सामाजिक विविधता का प्रतिनिधित्व***** विभिन्न

सामाजिक समूहों को राजनीति में स्थान देना – जैसे दलित, आदिवासी, महिलाएं, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक।

2. ****राजनीतिक दलों की भूमिका**** पार्टियों द्वारा टिकट वितरण में विविधता का ध्यान रखना।

3. ****आरक्षण नीति**** अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों को संसद, विधानसभा और स्थानीय निकायों में आरक्षण देना।

4. ****महिला प्रतिनिधित्व**** * महिलाओं के लिए पंचायतों और अन्य संस्थाओं में आरक्षित सीटें।

5. ****पहचान आधारित राजनीति (Identity Politics)****

* जब पार्टियां विशेष समुदाय या वर्ग की पहचान के आधार पर राजनीति करती हैं।

****प्रतिनिधित्व की राजनीति का महत्व:****

* ****समानता और समावेशन सुनिश्चित करता है****

* सभी वर्गों को राजनीतिक निर्णयों में भागीदारी मिलती है। *हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त करता है**

जो समुदाय लंबे समय से उपेक्षित रहे हैं, उन्हें मुख्यधारा में लाता है।

लोकतंत्र को मजबूती देता है**

जब हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलता है, तब लोकतंत्र अधिक जीवंत होता है।

नीतियों में विविधता लाता है*** विभिन्न अनुभव और समस्याएं सामने आती हैं, जिससे अधिक समावेशी नीतियां बनती हैं।

प्रतिनिधित्व की राजनीति की चुनौतियाँ:**

1. ****सांप्रदायिक और जातिवादी धुवीकरण**** * जब पहचान की राजनीति ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो यह समाज में विभाजन भी पैदा कर सकती है।

2. ****कुशलता बनाम पहचान**** * कभी-कभी योग्यता की जगह केवल पहचान को प्राथमिकता दी जाती है।

3. ****प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व****

* केवल दिखावे के लिए प्रतिनिधि चुनना, लेकिन असल में उन्हें निर्णय लेने की शक्ति न देना।

****निष्कर्ष (Conclusion):****

****प्रतिनिधित्व की राजनीति**** लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि केवल बहुसंख्यक की नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुंचे। हालांकि, यह ज़रूरी है कि यह राजनीति केवल पहचान तक सीमित न रहे, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और कुशल शासन का माध्यम भी बने।

****चुनावी क्षेत्रों के परिसीमन की माँग (Demands for Delimitation of Electoral Constituencies) —**
****परिभाषा:****

****चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन (Delimitation)**** का मतलब है — जनसंख्या के आधार पर संसद और विधानसभा के चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना, ताकि प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो।

****परिसीमन की माँग क्यों उठती है?***

1. ****जनसंख्या में असंतुलन****

* देश के कुछ हिस्सों में जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ी है, जबकि कुछ राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के चलते वृद्धि कम हुई है।* इससे ****प्रति सांसद/विधायक जनसंख्या का अनुपात असमान**** हो गया है।

2. ****प्रतिनिधित्व में असमानता****

* कुछ बड़े जनसंख्या वाले क्षेत्रों को उतने प्रतिनिधि नहीं मिलते जितने उन्हें मिलने चाहिए।

* इससे छोटे राज्यों या क्षेत्रों को **असमान रूप से अधिक प्रतिनिधित्व** मिल जाता है।

3. **लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के विरुद्ध**

* “एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य (One Person, One Vote, One Value)” का सिद्धांत प्रभावित होता है।

4. **राजनीतिक शक्ति का असमान वितरण**

* संसदीय और विधानसभा सीटों की संख्या में भारी अंतर राज्यों के बीच राजनीतिक ताकत को असमान बना देता है।

****भारत में परिसीमन की स्थिति:****

1952, 1963, 1973 और 2002** में अब तक चार बार परिसीमन हुआ है।

* **2002 के परिसीमन** में 2001 की जनगणना के आधार पर सीटों की सीमाएं तय की गई थीं, लेकिन सीटों की कुल संख्या में बदलाव नहीं हुआ।

* **1976 में संविधान संशोधन** करके जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए परिसीमन पर **2026 तक रोक** लगा दी गई थी।

****वर्तमान में परिसीमन की माँग कौन कर रहा है?***

* **उत्तर भारत के कुछ राज्य (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश)** – जहाँ जनसंख्या ज्यादा है, वहाँ के नेता कहते हैं कि उन्हें कम प्रतिनिधित्व मिल रहा है।

* **दक्षिण भारतीय राज्य (जैसे तमिलनाडु, केरल)** – जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई, वे चाहते हैं कि उनके खिलाफ भेदभाव न हो।

चुनौतियाँ और विवाद:**

****समर्थन में तर्क:**** लोकतंत्र में सभी नागरिकों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

* तेजी से बढ़ती आबादी वाले क्षेत्रों की जरूरतों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

****विरोध में तर्क:****

जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को "सजा" देना अनुचित है।

* इससे क्षेत्रीय असंतुलन और राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है।

* दक्षिण भारत को डर है कि उनकी राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी।

निष्कर्ष (Conclusion): *चुनावी क्षेत्रों के परिसीमन की माँग* भारत के लोकतंत्र में एक जटिल लेकिन आवश्यक मुद्दा है। एक ओर जनसंख्या आधारित न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को नुकसान न हो। इस मुद्दे पर संतुलित, सर्वसम्मत और संवैधानिक समाधान की आवश्यकता है।

****पहचान की राजनीति: कश्मीरियत (Identity Politics: Kashmiriyat)**

परिचय:

****पहचान की राजनीति (Identity Politics)**** का तात्पर्य उस राजनीति से है जिसमें किसी विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय या भाषाई समूह की पहचान के आधार पर राजनीतिक दावे किए जाते हैं। यह राजनीति व्यक्ति की सामूहिक पहचान को राजनीतिक रूप से संगठित करती है। ****कश्मीर में पहचान की राजनीति**** मुख्य रूप से **"कश्मीरियत"** की अवधारणा के इर्द-गिर्द घूमती है।

****क्या है कश्मीरियत?*** ****कश्मीरियत**** एक सांस्कृतिक और सामाजिक विचारधारा है, जो कश्मीरी समाज की साझा विरासत, धार्मिक सहिष्णुता, भाईचारा और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को दर्शाती है। यह एक ****सांप्रदायिक सौहार्द (communal harmony)**** की परंपरा रही है, जिसमें ***मुस्लिम***, ***हिंदू (विशेष रूप से कश्मीरी पंडित)*** और ***सिख*** समुदायों ने मिल-जुल कर जीवन बिताया।

कश्मीरियत और पहचान की राजनीति:

1. ****राजनीतिक प्रयोग****

कश्मीरियत की भावना को अक्सर राजनीतिक दलों ने एक ***क्षेत्रीय पहचान*** के रूप में इस्तेमाल किया है, जो ***भारतीय राष्ट्रवाद*** या ***पाकिस्तानी हस्तक्षेप*** दोनों से अलग मानी जाती रही है।

2. ***धार्मिक पहचान बनाम सांस्कृतिक पहचान***

* समय के साथ ***धार्मिक पहचान*** ने कश्मीरियत की ***सांस्कृतिक पहचान*** को पीछे धकेला, जिससे पहचान की राजनीति ने धार्मिक रंग ले लिया।

3. ***अलगाववाद और आत्म-निर्णय का प्रश्न***

* कुछ समूहों ने कश्मीरियत को एक ***अलग राजनीतिक इकाई*** के रूप में प्रस्तुत किया, जो भारत या पाकिस्तान से स्वतंत्र पहचान की माँग करता है।

4. ***कश्मीरी पंडितों का विस्थापन***

* 1990 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों का घाटी से पलायन हुआ, तब ***कश्मीरियत की सहिष्णुता और समावेशिता*** पर गंभीर सवाल उठे।

पहचान की राजनीति के प्रभाव (कश्मीर के सन्दर्भ में):

सकारात्मक पक्ष:

* कश्मीरियत के विचार ने ***धर्मनिरपेक्षता*** और ***सांझी संस्कृति*** को बढ़ावा दिया।

* क्षेत्रीय गौरव और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित किया।

नकारात्मक पक्ष:

पहचान की राजनीति ने ***धुवीकरण*** को जन्म दिया।

* ***राजनीतिक अस्थिरता***, ***अलगाववादी आंदोलनों*** और ***हिंसा*** को बढ़ावा मिला।

* धार्मिक और जातीय पहचानों के टकराव ने ***कश्मीरियत की मूल भावना*** को कमजोर किया।

वर्तमान परिदृश्य में कश्मीरियत:

****अनुच्छेद 370**** हटाए जाने के बाद, कश्मीर की राजनीतिक पहचान और कश्मीरियत के भविष्य पर नई बहसें शुरू हुई हैं।

* एक ओर कुछ लोग इसे *राष्ट्रीय एकीकरण* की दिशा में सकारात्मक कदम मानते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ इसे *क्षेत्रीय पहचान के दमन* के रूप में देखते हैं।

* आज कश्मीरियत को *फिर से परिभाषित* करने और *समावेशी पहचान* के रूप में पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

****निष्कर्ष (Conclusion):**** ****कश्मीरियत और पहचान की राजनीति**** का आपस में गहरा संबंध है। जहां कश्मीरियत एक साझा और समावेशी सांस्कृतिक पहचान की बात करती है, वहीं पहचान की राजनीति ने इसे समय-समय पर धार्मिक और राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किया है। आज आवश्यकता है कि *कश्मीरियत को सांप्रदायिक सद्भाव* और *सांस्कृतिक एकता* के प्रतीक के रूप में पुनः स्थापित किया जाए, जिससे कि पहचान की राजनीति सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में जा सके।

****सांप्रदायिकता (Communalism)**

☐ ****परिभाषा:****

****सांप्रदायिकता (Communalism)**** एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी विशेष *धार्मिक समुदाय* के हितों को सर्वोपरि मानकर, अन्य समुदायों के प्रति *विरोध*, *घृणा* या *दुश्मनी* को बढ़ावा दिया जाता है। यह विचारधारा *धार्मिक पहचान* को *राजनीति* और *सामाजिक व्यवहार* का आधार बनाती है।

****सांप्रदायिकता के मुख्य लक्षण:****

1. ****'हम बनाम वे' की मानसिकता**** * अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना और दूसरों को विरोधी या खतरा समझना।
2. ****धार्मिक आधार पर राजनीति करना****

* राजनीतिक दलों या समूहों द्वारा धर्म का उपयोग वोट पाने या समर्थन जुटाने के लिए करना।

3. ****सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा****

* दंगे, झड़पें और धार्मिक नफरत – सांप्रदायिकता का चरम रूप।

4. ****इतिहास का तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करना****

* धार्मिक मतभेदों को उभारने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं का गलत इस्तेमाल।

5. ****धार्मिक पहचान को राष्ट्रीय पहचान से ऊपर रखना****

* देशहित से ऊपर धर्म को प्राथमिकता देना।

****सांप्रदायिकता के कारण:****

1. ****राजनीतिक स्वार्थ****

* वोट बैंक की राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल।

2. ****अशिक्षा और जागरूकता की कमी****

* लोग तर्क की बजाय भावनाओं में बह जाते हैं।

3. ****ऐतिहासिक विवाद****

* मंदिर-मस्जिद विवाद जैसे मुद्दों को हवा देना।

4. ****मीडिया और अफवाहें****

* सोशल मीडिया और गलत सूचना के ज़रिए नफरत फैलाना।

5. ****आर्थिक-सामाजिक असमानता**** बेरोजगारी और गरीबी से उपजे असंतोष को सांप्रदायिक रूप देना। [2] **

भारत में सांप्रदायिकता का प्रभाव:*** ****1947 का विभाजन**** – लाखों लोगों की जान गई।

* ****दंगे**** – जैसे 1984 (सिख विरोधी), 1992 (बाबरी मस्जिद), 2002 (गुजरात), आदि।

- * **सामाजिक विघटन** — भाईचारा और सामाजिक सद्भाव नष्ट होना।
 - * **धार्मिक धुवीकरण** — समाज में नफरत और अविश्वास का माहौल बनना।
 - * **विकास में बाधा** — हिंसा और अस्थिरता से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।
- *सांप्रदायिकता से निपटने के उपाय:**

1. **धर्मनिरपेक्ष शिक्षा**

- * सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता की भावना पैदा करना।

2. **कानूनी कार्रवाई**

- * नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई।

3. **धर्मनिरपेक्ष मीडिया और राजनीति**

- * धर्म को निजी क्षेत्र में रखना, राजनीति से अलग करना।

4. **जनजागरूकता अभियान**

- * सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों के प्रति जनता को शिक्षित करना।

5. **समावेशी विकास**

- * सभी समुदायों को समान अवसर और संसाधन देना।

****निष्कर्ष (Conclusion):**** ****सांप्रदायिकता**** भारत जैसे बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश के लिए एक गंभीर चुनौती है। यह केवल सामाजिक ताने-बाने को ही नहीं तोड़ती, बल्कि लोकतंत्र, विकास और राष्ट्रीय एकता को भी कमजोर करती है। इसका मुकाबला केवल कानून से नहीं, बल्कि शिक्षा, सद्भाव, जागरूकता और सच्ची धर्मनिरपेक्षता से किया जा सकता है।

****सांप्रदायिक राजनीति (Communal Politics) —**

****परिभाषा:****

****सांप्रदायिक राजनीति**** वह राजनीतिक अभ्यास है जिसमें धर्म या धार्मिक समुदायों के आधार पर वोट बैंक तैयार करने, राजनीतिक समर्थन जुटाने और सत्ता हासिल करने के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की राजनीति सामाजिक एकता की जगह धार्मिक विभाजन और वैमनस्य को बढ़ावा देती है।

****सांप्रदायिक राजनीति के मुख्य पहलू:****

1. ****धार्मिक पहचान को प्रमुखता देना****

* राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किसी खास धर्म या समुदाय की पहचान पर जोर देते हैं।

2. ****धार्मिक भेदभाव और कट्टरता को उभारना****

* धार्मिक भेदों को बढ़ावा देकर विरोधी समुदायों के खिलाफ नफरत फैलाना।

3. ****धार्मिक आडंबर के पीछे राजनीतिक स्वार्थ****

* बाहरी या आंतरिक हितों के लिए धार्मिक मुद्दों का राजनीतिकरण।

4. ****वोट बैंक राजनीति****

* विभिन्न धार्मिक समुदायों को चुनावी लाभ के लिए बांटना।

****भारत में सांप्रदायिक राजनीति के कारण:****

* ****विविधता और बहुधर्मीय समाज****

* भारत में विभिन्न धर्मों का अस्तित्व होने के कारण राजनीतिक दल इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं।

****इतिहासिक और सामाजिक असमानताएँ****

* जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर गहरी असमानताएँ

* ****राजनीतिक लाभ के लिए विभाजन****

- * सत्ता में बने रहने के लिए विभिन्न समूहों को आपस में लड़वाना।
- * **कमजोर राजनीतिक नेतृत्व और संस्थाएँ**
- * समावेशी राजनीति की कमी।
- **सांप्रदायिक राजनीति के दुष्परिणाम:**
- * **धार्मिक दंगे और हिंसा**
- * जैसे 1984 सिख दंगा, 1992 बाबरी मस्जिद विवाद के बाद की हिंसा, 2002 गुजरात दंगा।
- **समाज में विघटन**
- * भाईचारे की कमी और सामाजिक अस्थिरता।
- **राजनीतिक अस्थिरता**
- * सत्ता संघर्ष और सामाजिक तनाव बढ़ना।
- **विकास में बाधा**
- * धार्मिक तनाव के कारण आर्थिक और सामाजिक विकास प्रभावित होना।
- **सांप्रदायिक राजनीति से निपटने के उपाय:**
- 1. * **धर्मनिरपेक्ष राजनीति को बढ़ावा देना**
- * सभी धर्मों और समुदायों का समान सम्मान।
- 2. * **शिक्षा और जागरूकता**
- * सामाजिक सद्भाव और सहिष्णुता की शिक्षा देना।
- 3. * **मजबूत और निष्पक्ष चुनाव आयोग**
- * चुनावी प्रक्रिया में धार्मिक धुवीकरण रोकना।

4. ****कानून का कड़ाई से पालन****

- * सांप्रदायिक दंगों और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई।

5. ****समावेशी विकास नीति****

- * सभी वर्गों और समुदायों को समान अवसर प्रदान करना।

****निष्कर्ष (Conclusion):****

****सांप्रदायिक राजनीति**** किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए खतरा है क्योंकि यह सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है। हमें धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता और समानता के सिद्धांतों को अपनाकर सांप्रदायिक राजनीति से बचना होगा और एक समृद्ध एवं शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करना होगा।

Unit -3rd

Terrorism, Violence and Internal migration

आतंकवाद: कारक और शक्तियाँ (Terrorism: Factors and Forces) — हिंदी में विस्तृत जानकारी

☐ ****परिभाषा:****

****आतंकवाद (Terrorism)**** का अर्थ है हिंसात्मक गतिविधियों के जरिए डर और आतंक फैलाना, ताकि राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य हासिल किए जा सकें। इसमें आमतौर पर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जाता है।

****आतंकवाद के प्रमुख कारक (Factors):****

1. ****राजनीतिक अस्थिरता और उत्पीड़न****

* कुछ समूह अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जब उन्हें अधिकार या स्वतंत्रता नहीं मिलती।

2. ****धार्मिक और सांप्रदायिक संघर्ष****

* धार्मिक मतभेदों और सांप्रदायिक तनावों से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है।

3. **आर्थिक असमानता और गरीबी**

* बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक पिछड़ापन कुछ लोगों को आतंकवादी गतिविधियों की ओर ले जाता है।

4. **सामाजिक अन्याय और भेदभाव**

* जाति, वर्ग, धर्म या क्षेत्रीय आधार पर भेदभाव।

5. **विदेशी हस्तक्षेप**

* किसी देश के आंतरिक मामलों में दूसरे देशों का हस्तक्षेप और समर्थन।

6. **अपराध और गैर-कानूनी गतिविधियां**

* ड्रग तस्करी, हथियारों की बिक्री जैसे गैरकानूनी धंधों से धन प्राप्त करना।

****आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली शक्तियाँ (Forces):****

1. **सांप्रदायिक ताकतें**

* धार्मिक कट्टरपंथी समूह जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं।

2. **राजनीतिक गुट और विद्रोही संगठन**

* जो सत्ता पाने या क्षेत्रीय स्वतंत्रता की मांग करते हैं।

3. **अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क** #### घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन (Migration of Pandits from Kashmir Valley) —

परिचय:*

कश्मीरी पंडित, जो कश्मीर घाटी के हिंदू समुदाय का हिस्सा हैं, 1990 के दशक की शुरुआत में हिंसा और आतंकवाद के कारण अपनी पैतृक घाटी से बड़े पैमाने पर पलायन करने को मजबूर

हुए। यह पलायन कश्मीर के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक दुखद अध्याय माना जाता है।

****पलायन के मुख्य कारण:****

1. ****आतंकवादी गतिविधियाँ**** * 1989-1990 के आसपास कश्मीर में अलगाववादी और इस्लामी आतंकवादी समूहों की सक्रियता बढ़ी। * कश्मीरी पंडितों को धमकियां मिलने लगीं, उन्हें निशाना बनाया गया।

2. ****धार्मिक उत्पीड़न****

* आतंकवादी समूहों ने पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया।

* कई जगह पंडित परिवारों पर हमला हुआ, जिनमें जान-माल का नुकसान हुआ।

3. ****राजनीतिक अस्थिरता****

* केंद्र और राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी, जिससे पंडितों को सुरक्षा नहीं मिल सकी।

4. ****सामाजिक विभाजन और भय****

* घाटी में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ने से पंडित समुदाय के लिए रहना असुरक्षित हो गया।

****पलायन का प्रभाव:****

****समुदाय का विस्थापन****

* लगभग 3-4 लाख कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर जम्मू, दिल्ली, और देश के अन्य हिस्सों में शरणार्थी बन गए।

* ****सांस्कृतिक क्षति****

* कश्मीरियत की उस परंपरा को झटका लगा जिसमें हिंदू-मुस्लिम सहअस्तित्व था।

****आर्थिक नुकसान****

* अपने घर, जमीन और रोजगार को छोड़कर जाना पड़ा।

****सामाजिक और मानसिक आघात****

* विस्थापन और निर्वासन से परिवार टूटे, कई पीढ़ियों को असुरक्षा और मानसिक तनाव झेलना पड़ा।

****पुनर्वास के प्रयास:****

* सरकार और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए प्रयास किए गए।

* घाटी में लौटने के लिए सुरक्षा उपाय और सुविधाएं देने की कोशिश हुई।

* हालांकि, सुरक्षा कारणों और अस्थिरता के चलते अधिकांश पंडित अब भी घाटी में वापस नहीं जा पाए हैं।

****निष्कर्ष (Conclusion):****

कश्मीरी पंडितों का घाटी से पलायन एक त्रासद घटना है, जिसने न केवल एक समुदाय को प्रभावित किया, बल्कि पूरे कश्मीर की सामाजिक-सांस्कृतिक बनावट को भी झकझोर दिया। इस समस्या का स्थायी समाधान शांति, सुरक्षा और साम्प्रदायिक सद्भाव स्थापित करके ही संभव है।

****आतंकवाद से निपटने के उपाय:****

1. ****सशक्त कानून और सुरक्षा तंत्र****

* आतंकवादी गतिविधियों पर कड़ी नजर और कानूनी कार्रवाई।

2. ****सामाजिक समरसता बढ़ाना****

* विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और सहिष्णुता को प्रोत्साहित करना।

3. ****शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाना****

* युवाओं को सही दिशा में लगाने के लिए।

4. ****अंतरराष्ट्रीय सहयोग****

* आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर मिलकर लड़ना।

5. ****सशक्त खुफिया तंत्र और तकनीकी निगरानी****

* आतंकवादी नेटवर्क का समय रहते पता लगाना।

****निष्कर्ष (Conclusion):****

****आतंकवाद**** समाज के लिए एक गंभीर खतरा है जो न केवल जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि लोकतंत्र, शांति और विकास को भी बाधित करता है। इसके खिलाफ लड़ाई में कानून, शिक्षा, सामाजिक समरसता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन (Migration of Pandits from Kashmir Valley) —

****परिचय:****

कश्मीरी पंडित, जो कश्मीर घाटी के हिंदू समुदाय का हिस्सा हैं, 1990 के दशक की शुरुआत में हिंसा और आतंकवाद के कारण अपनी पैतृक घाटी से बड़े पैमाने पर पलायन करने को मजबूर हुए। यह पलायन कश्मीर के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक दुखद अध्याय माना जाता है।

****पलायन के मुख्य कारण:****

1. ****आतंकवादी गतिविधियाँ****

* 1989-1990 के आसपास कश्मीर में अलगाववादी और इस्लामी आतंकवादी समूहों की सक्रियता बढ़ी।

* कश्मीरी पंडितों को धमकियां मिलने लगीं, उन्हें निशाना बनाया गया।

2. ****धार्मिक उत्पीड़न**** * आतंकवादी समूहों ने पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया।

* कई जगह पंडित परिवारों पर हमला हुआ, जिनमें जान-माल का नुकसान हुआ।

3. **राजनीतिक अस्थिरता**

* केंद्र और राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी, जिससे पंडितों को सुरक्षा नहीं मिल सकी।

4. **सामाजिक विभाजन और भय**

* घाटी में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ने से पंडित समुदाय के लिए रहना असुरक्षित हो गया।

****पलायन का प्रभाव:****

****समुदाय का विस्थापन****

* लगभग 3-4 लाख कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर जम्मू, दिल्ली, और देश के अन्य हिस्सों में शरणार्थी बन गए।

****सांस्कृतिक क्षति****

* कश्मीरियत की उस परंपरा को झटका लगा जिसमें हिंदू-मुस्लिम सहअस्तित्व था।

****आर्थिक नुकसान****

* अपने घर, जमीन और रोजगार को छोड़कर जाना पड़ा।

****सामाजिक और मानसिक आघात****

* विस्थापन और निर्वासन से परिवार टूटे, कई पीढ़ियों को असुरक्षा और मानसिक तनाव झेलना पड़ा।

****पुनर्वास के प्रयास:****

* सरकार और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए प्रयास किए गए।

* घाटी में लौटने के लिए सुरक्षा उपाय और सुविधाएं देने की कोशिश हुई।* हालांकि, सुरक्षा कारणों और अस्थिरता के चलते अधिकांश पंडित अब भी घाटी में वापस नहीं जा पाए हैं।

निष्कर्ष (Conclusion):

कश्मीरी पंडितों का घाटी से पलायन एक त्रासद घटना है, जिसने न केवल एक समुदाय को प्रभावित किया, बल्कि पूरे कश्मीर की सामाजिक-सांस्कृतिक बनावट को भी झकझोर दिया। इस समस्या का स्थायी समाधान शांति, सुरक्षा और साम्प्रदायिक सद्भाव स्थापित करके ही संभव है।

****आर्म्ड फोर्सिज स्पेशल पावर एक्ट (AFSPA) पर बहस और विवाद –**

****परिचय:****

****आर्म्ड फोर्सिज स्पेशल पावर एक्ट (AFSPA)**** भारत सरकार द्वारा 1958 में लागू किया गया कानून है, जो विशेष रूप से असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर आदि संवेदनशील और नक्सल प्रभावित इलाकों में सशस्त्र बलों को व्यापक अधिकार देता है। इसका उद्देश्य आतंकवाद और विद्रोह को रोकना है।

****AFSPA के मुख्य प्रावधान:****

* सुरक्षा बलों को किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने, उसे खोजने और ज़रूरत पड़ने पर गोली चलाने का अधिकार।

* इस कानून के तहत सुरक्षा बलों के खिलाफ आमतौर पर कानूनी कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होता है (जो की 'सतर्कता की छूट' कहलाती है)।

* इसे 'काला कानून' भी कहा जाता है क्योंकि इसे अत्यधिक शक्तिशाली और विवादित माना जाता है।

****AFSPA को लेकर बहस और विवाद:****

1. ****समर्थन के तर्क:****

****राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी:****

* नक्सलवाद, आतंकवाद और अलगाववादी हिंसा के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही के लिए आवश्यक।

* **सशस्त्र बलों को सुरक्षा प्रदान करना:**

* कठिन और खतरनाक हालात में सैनिकों को अधिकार देकर उनके मनोबल को बढ़ाना।

* **स्थानीय प्रशासन के काम को सहयोग:**

* राज्य सरकारों की कमजोरी को पूरा करता है।

2. **विरोध और आलोचना:**

* **मानवाधिकारों का उल्लंघन:**

* AFSPA के तहत सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर फर्जी एनकाउंटर, अनावश्यक गोलीबारी, यातनाएं और नागरिकों के उत्पीड़न की शिकायतें।

* **कानून का दुरुपयोग:**

* सुरक्षा बलों को मिली छूट का गलत इस्तेमाल।

* **लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन:**

* आम नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की अनदेखी।

* **स्थानीय लोगों का विरोध:**

* खासकर जम्मू-कश्मीर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में AFSPA को लेकर भारी विरोध।

* **कानूनी समीक्षा की मांग:**

* कई न्यायालयों और मानवाधिकार संगठनों ने इसे असंवैधानिक बताया या संशोधन की मांग की।

□ **न्यायिक और राजनीतिक पहल:** सुप्रीम कोर्ट ने AFSPA की कुछ परिस्थितियों में समीक्षा की है लेकिन पूरी तरह से निरस्त नहीं किया।

* सरकार ने समय-समय पर AFSPA के क्षेत्रों को सीमित किया या संशोधित किया है।

* मानवाधिकार संगठन और नागरिक समूह AFSPA हटाने या संशोधन की लगातार मांग करते रहे हैं।

☞ ****निष्कर्ष:****

****AFSPA**** एक विवादित कानून है जो सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन बनाने में चुनौती पेश करता है। जबकि यह आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को आवश्यक अधिकार देता है, इसका दुरुपयोग और नागरिकों के अधिकारों का हनन गंभीर चिंता का विषय है। भविष्य में इसके सुधार और संवेदनशील क्षेत्रों में शांति स्थापना के लिए समावेशी प्रयास आवश्यक हैं।

****मानव अधिकार मुद्दे (Human Rights Issues) ----**

****मानव अधिकार क्या हैं?***

****मानव अधिकार**** वे बुनियादी अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को केवल मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। ये अधिकार सभी को समान रूप से मिलते हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रियता या सामाजिक स्थिति का हो। इनमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सम्मान शामिल हैं।

****मानव अधिकार मुद्दे क्या हैं?***

****मानव अधिकार मुद्दे**** उन समस्याओं और चुनौतियों को कहते हैं जहां लोगों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन होता है। ये उल्लंघन विभिन्न रूपों में हो सकते हैं जैसे हिंसा, भेदभाव, उत्पीड़न, असमानता आदि।

****मुख्य मानव अधिकार मुद्दे:****

1. ****जातिवाद और भेदभाव****

* सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्तर पर किसी व्यक्ति या समूह के साथ भेदभाव।

****महिला अधिकारों का उल्लंघन****

* घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, यौन उत्पीड़न, शिक्षा और रोजगार में असमानता।

3. ****बाल श्रम और बाल विवाह****

* बच्चों का शोषण और उनके अधिकारों का हनन।

4. ****धार्मिक उत्पीड़न****

* धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव।

5. ****स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार****

* बोलने, लिखने, विरोध करने की आज़ादी पर प्रतिबंध।

6. ****आर्थिक असमानता और गरीबी****

* जीवन जीने के लिए आवश्यक साधनों से वंचित करना।

7. ****पुनर्वास और शरणार्थी संकट****

* युद्ध, आतंकवाद या प्राकृतिक आपदा से विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा।

8. ****प्राकृतिक संसाधनों का हनन****

* पर्यावरण के अधिकार और स्वच्छ जल, हवा का अधिकार।

9. ****कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन****

* जेलों में यातना, उचित कानूनी प्रक्रिया का अभाव।

****मानव अधिकार उल्लंघन के कारण:****

* ****अशिक्षा और जागरूकता की कमी****

* ****सत्तावाद और भ्रष्टाचार****

* ****सांप्रदायिकता और जातिवाद****

- * **गरीबी और सामाजिक असमानता**
- * **कानून का सही क्रियान्वयन न होना**
- * **मानव अधिकार संरक्षण के उपाय**
- * **कानूनी व्यवस्था को मजबूत बनाना**
- * **शिक्षा और जनजागरूकता बढ़ाना**
- * **मानवाधिकार संगठनों का सहयोग**
- * **सरकार और समाज का सामूहिक प्रयास**
- * **अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समझौतों का पालन**

☐ * **निष्कर्ष**

मानव अधिकार किसी भी सभ्य समाज की नींव हैं। इनके बिना स्वतंत्रता, समानता और न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमें अपने और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए एक न्यायसंगत और समावेशी समाज का निर्माण करना चाहिए।

Unit-4

State autonomy and Federal Questions

* **विभाजनवाद और विभाजनवादी राजनीति (Secessionism and Secessionist Politics) —

* **परिभाषा**

* **विभाजनवाद (Secessionism)** * उस विचारधारा या आंदोलन को कहते हैं जिसमें कोई क्षेत्र, समुदाय या समूह किसी देश से अलग होकर अपनी स्वतंत्र राज्य या अलग सत्ता की मांग करता है। इसे 'सन्सर्गवाद' या 'अलगाववाद' भी कहा जाता है। * **विभाजनवादी राजनीति (Secessionist Politics)** * वह राजनीतिक गतिविधि होती है जिसमें किसी क्षेत्र या समुदाय के नेता या संगठन राष्ट्रीय एकता को तोड़कर अलग राज्य या स्वतंत्रता की मांग करते हैं।

****विभाजनवाद के मुख्य कारण:****

1. ****सांस्कृतिक और जातीय भेदभाव****

* अलग-अलग भाषा, संस्कृति, धर्म या जाति के आधार पर पहचान की मांग।

2. ****राजनीतिक और प्रशासनिक उपेक्षा****

* क्षेत्र की राजनीति में उचित भागीदारी या संसाधन न मिलना।

3. ****आर्थिक शोषण और असमानता****

* प्राकृतिक संसाधनों का फायदा न मिलना या आर्थिक पिछड़ापन।

4. ****धार्मिक मतभेद****

* धर्म के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न।

5. ****इतिहासिक कारण****

* पुरानी राजनीतिक या सामाजिक असहमति।

☐ ****विभाजनवादी राजनीति के उदाहरण:****

* भारत में जम्मू-कश्मीर का अलगाववादी आंदोलन।

* पंजाब का खालिस्तान आंदोलन।

* नागालैंड और मिजोरम में अलग राज्य की मांग।

* स्पेन में कैटलोनिया का स्वतंत्रता आंदोलन।

****विभाजनवाद के दुष्परिणाम:****

* राष्ट्रीय एकता और अखंडता का नुकसान।

* सामाजिक और धार्मिक तनाव।

* हिंसा, दंगे और आतंकवाद।

* आर्थिक नुकसान और विकास की रफ्तार धीमी पड़ना।

* मानवीय क्षति और विस्थापन।

****विभाजनवाद से निपटने के उपाय:**** ****संवाद और बातचीत:**** सभी पक्षों के बीच खुले संवाद।

****राजनीतिक समावेशन:**** सभी समूहों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करना।

****आर्थिक विकास:**** पिछड़े क्षेत्रों को समान अवसर देना।

****सांस्कृतिक सम्मान:**** विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को संरक्षण देना।

****कानूनी कदम:**** कानून के दायरे में रहकर समस्या का समाधान।

****निष्कर्ष:**** विभाजनवाद और विभाजनवादी राजनीति राष्ट्रीय स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती हैं। इनसे निपटने के लिए समझदारी, समावेशन और न्याय पर आधारित नीति अपनाना आवश्यक है ताकि देश की एकता और विकास सुनिश्चित हो सके।

विद्रोहों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था (Political Economy of Insurgencies) — हिंदी में जानकारी

📌 ****परिचय:****

****विद्रोह (Insurgency)**** का मतलब है किसी सरकार या राज्य के खिलाफ हथियारबंद या अन्य हिंसात्मक संघर्ष करना।

****राजनीतिक अर्थव्यवस्था (Political Economy)**** वह अध्ययन है जिसमें राजनीति और अर्थव्यवस्था के आपसी संबंधों को समझा जाता है।

तो, ****विद्रोहों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था**** उस विश्लेषण को कहते हैं जिसमें यह समझा जाता है कि किन राजनीतिक और आर्थिक कारणों से विद्रोह उभरते हैं और वे कैसे संचालित होते हैं।

****विद्रोहों के राजनीतिक और आर्थिक कारण:****

1. ****आर्थिक असमानता और गरीबी****

- * समाज में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई।
- * बेरोजगारी, विकास के अभाव और संसाधनों की कमी।

2. ****राजनीतिक उत्पीड़न और असमानता****

- * अल्पसंख्यकों या विशिष्ट समुदायों की राजनीतिक हाशिए पर जाना।
- * स्वतंत्र प्रतिनिधित्व का अभाव।

3. ****सामाजिक अन्याय और भेदभाव****

- * जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव।
- * न्यायिक तंत्र और प्रशासन की पक्षपातपूर्ण नीतियाँ।

4. ****प्राकृतिक संसाधनों का विवाद****

- * खनिज, जंगल, जल जैसे संसाधनों पर नियंत्रण और उनका अपव्यय।
- * संसाधनों की लूट से स्थानीय समुदायों का नुकसान।

5. ****विदेशी हस्तक्षेप****

* बाहरी शक्तियाँ विद्रोही समूहों को समर्थन देती हैं।

⑦ ****विद्रोहों की आर्थिक रणनीतियाँ:****

* ****वित्तीय संसाधन जुटाना:****

* ड्रग तस्करी, हथियारों की बिक्री, अपहरण, जबरन वसूली।

* ****स्थानीय समर्थन:****

- * गरीब और उपेक्षित वर्गों को आर्थिक लाभ देकर समर्थन प्राप्त करना।
- **अवैध नेटवर्क:** * काला धन और विदेशों से वित्तीय मदद लेना।
- *विद्रोहों के राजनीतिक प्रभाव:**
- * लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा।
- * सुरक्षा की स्थिति खराब होना।
- * राज्य की कार्यक्षमता पर असर।
- * स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर तनाव।
- **विद्रोहों को रोकने के उपाय:**
- * **समान आर्थिक विकास:** पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार और विकास के अवसर बढ़ाना।
- * **राजनीतिक समावेशन:** सभी समुदायों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करना।
- * **सामाजिक न्याय:** भेदभाव खत्म करना और न्याय सुनिश्चित करना।
- * **सुरक्षा उपाय:** प्रभावी सुरक्षा और कानून व्यवस्था।
- * **संवाद और शांति प्रयास:** विद्रोहियों के साथ बातचीत।
- **निष्कर्ष:**

विद्रोह केवल हिंसा नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक असंतुलन का परिणाम है। इसलिए इसे केवल सैन्य बल से नहीं, बल्कि समावेशी विकास और न्याय की नींव रखकर ही दूर किया जा सकता है।

****राज्य स्वायत्तता पर बहस (Debates on State Autonomy) — हिंदी में जानकारी****

****परिचय:**** ****राज्य स्वायत्तता (State Autonomy)**** से तात्पर्य है कि एक राज्य को अपने मामलों में स्वतंत्रता और नियंत्रण मिले, खासकर प्रशासन, कानून, आर्थिक और राजनीतिक निर्णयों

में। भारत जैसे संघीय देश में राज्य और केंद्र के बीच अधिकारों के विभाजन को लेकर लगातार बहस होती रहती है।

****राज्य स्वायत्तता पर बहस के मुख्य मुद्दे:****

1. ****केंद्र और राज्यों के अधिकारों का संतुलन:****

* केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का उचित वितरण।

* क्या राज्यों को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए या केंद्र को मजबूत रखना चाहिए?

2. ****राजनीतिक स्वायत्तता:****

* राज्यों को अपने राजनीतिक फैसले लेने में स्वतंत्रता होनी चाहिए।

* केंद्र का राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप कितना सही है?

3. ****आर्थिक स्वायत्तता:****

* राज्यों को अपनी आर्थिक नीतियाँ बनाने और संसाधनों का नियंत्रण रखने का अधिकार।

* क्या केंद्र राज्यों के विकास के लिए ज्यादा संसाधन देना चाहिए?

4. ****सांस्कृतिक और भाषाई स्वायत्तता:****

* राज्यों को अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को संरक्षित करने का अधिकार।

* केंद्र का सांस्कृतिक हस्तक्षेप विवादित हो सकता है।

5. ****संघीय संरचना और संविधान:****

* संविधान में राज्यों को दी गई स्वायत्तता और उसके बदलाव पर बहस।

* राज्यों को अधिक अधिकार देने के लिए संविधान संशोधन की मांग।

****मुख्य बहसों और विवाद:****

* ****जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा:****

* Article 370 के तहत मिली स्वायत्तता और उसके हटाए जाने पर विवाद।

* **राज्य पुनर्गठन:** **

* जैसे तेलंगाना और झारखंड के गठन के पीछे राज्य स्वायत्तता की मांग।

* **वित्तीय शक्तियों का विवाद:** **

* राज्यों को अपने राजस्व पर अधिकार देना या केंद्र के नियंत्रण को बनाए रखना।

* **नक्सल प्रभावित राज्यों की मांग:** **

* अधिक स्वायत्तता और संसाधनों का नियंत्रण।

□ **राज्य स्वायत्तता के पक्ष में तर्क:** **

* स्थानीय मुद्दों का बेहतर समाधान।

* राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं का संरक्षण।

* विकास की तेज़ी और लोकतंत्र की मजबूती।

* केंद्र पर दबाव कम करना।

□ **राज्य स्वायत्तता के विरोध में तर्क:** ** राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर खतरा।

* राज्यों के बीच असमान विकास।

* केंद्र सरकार की कमजोर स्थिति।

* विवादित क्षेत्रों में संघर्ष बढ़ना।

□ **निष्कर्ष:** **राज्य स्वायत्तता पर बहस लोकतंत्र और संघीय ढांचे की महत्वपूर्ण विषय है।

इसके लिए संतुलन जरूरी है ताकि राज्यों को स्वतंत्रता मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी बनी रहे। संवाद, संवैधानिक सुधार और न्यायसंगत नीति इस विवाद को सुलझाने के लिए आवश्यक हैं।

